

खाद्य सुरक्षा ;समस्याएँ और संभावनाएँ: भारत का एक केस अध्ययन**FOOD SECURITY ; PROBLEMS AND PROSPECTS :A CASE STUDY OF INDIA****¹Dr Srikant Pandey, ²Dr Shubha Sinha**¹Associate Professor, Delhi College of Arts & Commerce, University of Delhi²Associate Professor, Shyama Prasad Mukherjee College for Women, University of Delhi**Abstract**

It is essential to transition from the current inefficient, costly, and corruption-laden institutional frameworks to systems that ensure the transparent delivery and distribution of essential food grains at affordable rates. To address the ongoing issues of food security, the government has introduced various initiatives. In this context, the Government of India enacted the National Food Security Act in 2013, which aims to provide subsidized food to approximately two-thirds of the country's 1.2 billion population. This legislation is regarded as the largest experiment globally in distributing highly subsidized food through a "rights-based approach." The Act seeks to establish a legal entitlement to subsidized food grains for around 67 percent of the population. However, despite its potential benefits, the Act has faced significant criticism due to its reliance on a PDS that is perceived as highly inefficient. With global food grain prices on the rise, questions arise about the government's ability to provide subsidized food to 70 percent of the Indian population, especially under adverse climate conditions. In summary, while there is sufficient food availability, the persistent issue of food insecurity at the micro-level remains a significant challenge for India.

Food is essential for life, which is invaluable. Food security is a fundamental human right, closely associated with the right to life as outlined in Article 21¹ of the Constitution of India, 1950. The infringement of one right can adversely affect others, highlighting the intrinsic connection between the rule of law and the safeguarding of all human rights, including the right to food. For a nation like India, where 21.92 percent of the population lives below the poverty line and nearly half of all children suffer from malnutrition, ensuring food security is of utmost importance.

वर्तमान अकुशल, महंगे और भ्रष्टाचार से भरे संस्थागत ढाँचे से ऐसी प्रणालियों में संक्रमण करना आवश्यक है जो किफ़ायती दरों पर आवश्यक खाद्यान्नों की पारदर्शी डिलीवरी और वितरण सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा के मौजूदा मुद्दों को संबोधित करने के लिए, सरकार ने विभिन्न पहल की हैं। इस संदर्भ में, भारत सरकार ने 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया, जिसका उद्देश्य देश की 1.2 बिलियन आबादी के लगभग दो-तिहाई लोगों को सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराना है। इस कानून को "अधिकार-आधारित दृष्टिकोण" के माध्यम से अत्यधिक सब्सिडी वाले भोजन को वितरित करने में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा प्रयोग माना जाता है। यह अधिनियम लगभग 67 प्रतिशत आबादी के लिए सब्सिडी वाले खाद्यान्नों के लिए

¹ Article 21 , Constitution of India, Protection of Life and Personal liberty – No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law, Universal Publication Press

कानूनी अधिकार स्थापित करना चाहता है। हालाँकि, इसके संभावित लाभों के बावजूद, अधिनियम को एक ऐसे PDS पर निर्भरता के कारण महत्वपूर्ण आलोचना का सामना करना पड़ा है जिसे अत्यधिक अकुशल माना जाता है। वैश्विक खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि के साथ, विशेष रूप से प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में, भारतीय आबादी के 70 प्रतिशत लोगों को सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराने की सरकार की क्षमता पर सवाल उठते हैं। संक्षेप में, जबकि पर्याप्त खाद्य उपलब्धता है, सूक्ष्म स्तर पर खाद्य असुरक्षा का लगातार मुद्दा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। भोजन जीवन के लिए आवश्यक है, जो अमूल्य है। खाद्य सुरक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है, जो भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित जीवन के अधिकार से निकटता से जुड़ा हुआ है। एक अधिकार का उल्लंघन दूसरों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, जो कानून के शासन और भोजन के अधिकार सहित सभी मानवाधिकारों की सुरक्षा के बीच अंतर्निहित संबंध को उजागर करता है। भारत जैसे देश के लिए, जहाँ 21.92 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है और लगभग आधे बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भोजन जीवन के लिए आवश्यक है, जो अमूल्य है। खाद्य सुरक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है, जो भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित जीवन के अधिकार से निकटता से जुड़ा हुआ है। एक अधिकार का उल्लंघन दूसरों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, जो कानून के शासन और भोजन के अधिकार सहित सभी मानवाधिकारों की सुरक्षा के बीच अंतर्निहित संबंध को उजागर करता है। भारत जैसे देश के लिए, जहाँ 21.92 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है और लगभग आधे बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

"खाद्य सुरक्षा" में भोजन तक भौतिक और आर्थिक दोनों तरह की पहुँच शामिल है, जिसमें पहुँच का मतलब उपलब्धता और सामर्थ्य दोनों से है। 1996 के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन ने खाद्य सुरक्षा को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जिसमें "सभी लोगों को हर समय स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक भोजन तक पहुँच हो।" विश्व स्वास्थ्य संगठन खाद्य सुरक्षा के तीन आयामों की पहचान करता है: "खाद्य उपलब्धता," "खाद्य पहुँच," और "खाद्य उपयोग।" उल्लेखनीय रूप से, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने एक चौथा आयाम पेश किया: "समय के साथ खाद्य सुरक्षा के पहले तीन आयामों की स्थिरता।" इसलिए, खाद्य सुरक्षा एक बहुआयामी अवधारणा है।

भारत में खाद्य सुरक्षा हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी लगभग एक तिहाई आबादी को बेहद गरीब माना जाता है और आधे से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में कई अहम मुद्दे उभरे हैं, जिनमें शामिल हैं (i) 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण का कृषि और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव, (ii) विश्व व्यापार संगठन की स्थापना और उसके कृषि समझौते, (iii) जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, (iv) पर्याप्त खाद्य भंडार के साथ-साथ भूख और गरीबी का सह-अस्तित्व, (v) खाद्य असुरक्षा को संबोधित करने के उद्देश्य से 'भोजन का अधिकार' अभियान, (vi) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन, और (vii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक। इन महत्वपूर्ण चुनौतियों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

पिछले कुछ दशकों में खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में उल्लेखनीय विकास हुआ है, जो आधिकारिक नीतिगत दृष्टिकोणों में बदलावों को दर्शाता है। खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं की जड़ें 1972-74 के वैश्विक खाद्य संकट

में देखी जा सकती हैं। रोम में 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन में, यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि यह मुद्दा पूरी मानवता को प्रभावित करता है: "हर पुरुष, महिला और बच्चे को भूख और कुपोषण से मुक्त रहने का अविभाज्य अधिकार है ताकि वे पूरी तरह से विकसित हो सकें और अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बनाए रख सकें। तदनुसार, भूख का उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सभी देशों, विशेष रूप से विकसित देशों और सहायता प्रदान करने में सक्षम लोगों का सामान्य उद्देश्य है।" 1983 में, खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने खाद्य उपलब्धता पर जोर दिया, मुख्य रूप से इसे खाद्य मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन के संदर्भ में परिभाषित किया। 1986 में प्रकाशित गरीबी और भूख पर विश्व बैंक की प्रभावशाली रिपोर्ट ने खाद्य असुरक्षा के लौकिक पहलुओं की जांच की। इस विश्लेषण को सेन के अकाल के सिद्धांत ने और समृद्ध किया, जिसने उत्पादन, श्रम, व्यापार और संसाधन हस्तांतरण जैसे कारकों सहित खाद्य पहुँच पर व्यक्तिगत अधिकारों के प्रभाव को रेखांकित किया। 1996 में विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन से व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त परिभाषा ने खाद्य सुरक्षा की बहुमुखी प्रकृति को पुष्ट किया, जिसमें खाद्य पहुँच, उपलब्धता, उपयोग और स्थिरता शामिल है। वर्तमान में, 40 से अधिक देशों ने अपने संविधानों में भोजन के अधिकार को शामिल किया है, और FAO का अनुमान है कि लगभग 54 देशों में इस अधिकार को कानूनी रूप से मान्यता दी जा सकती है। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा मूल रूप से दो उप-अवधारणाओं पर आधारित है: खाद्य उपलब्धता, जो स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भोजन की आपूर्ति से संबंधित है, और खाद्य पात्रता, जो किसी व्यक्ति या परिवार की भोजन प्राप्त करने की क्षमता को संदर्भित करती है। खाद्य सुरक्षा के आवश्यक आयाम या पूर्वापेक्षाएँ इस प्रकार हैं:

खाद्य उपलब्धता: यह शब्द भोजन की पर्याप्त मात्रा को दर्शाता है जो स्थानीय उत्पादन या आयात के माध्यम से प्रदान की जाती है। यह खाद्य सुरक्षा के 'आपूर्ति पक्ष' पहलू से संबंधित है।

खाद्य सुलभता: यह अवधारणा किसी व्यक्ति की उपयुक्त भोजन प्राप्त करने के लिए आवश्यक पर्याप्त संसाधन (अधिकार) प्राप्त करने की क्षमता को संदर्भित करती है जो पौष्टिक और संतुलित आहार में योगदान देता है।

खाद्य उपयोग: उपयोग आम तौर पर संदर्भित करता है कि शरीर भोजन से विभिन्न पोषक तत्वों का कितनी प्रभावी रूप से उपयोग करता है, जो संतुलित आहार, स्वच्छ पानी तक पहुँच, स्वच्छता प्रथाओं, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा से प्रभावित होता है।

स्थिरता: किसी व्यक्ति, परिवार या आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, हर समय पर्याप्त भोजन तक निरंतर पहुँच होना आवश्यक है।

हाल के दशकों में, भारत का कुल खाद्य उत्पादन जनसंख्या वृद्धि से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। 1967-68 के अंत में शुरू हुई हरित क्रांति ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसके कारण कृषि उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई, विशेष रूप से खाद्यान्नों में, जिससे भारत में खाद्य सुरक्षा परिदृश्य बदल गया। विभिन्न खाद्यान्नों में से, गेहूँ को हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जिसके बाद के तीन से चार दशकों में उत्पादन तीन

गुना हो गया, जबकि उसी समयावधि के दौरान अनाज का उत्पादन दोगुना हो गया। इस उल्लेखनीय वृद्धि ने देश के भीतर खाद्य असुरक्षा और गरीबी दोनों में 50 प्रतिशत से ज़्यादा की कमी लाने में योगदान दिया। भारत में, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) में निहित है, जैसा कि भारत के संविधान, 1950 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है, "राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा और विशेष रूप से, राज्य नशीली पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा, सिवाय चिकित्सा उद्देश्यों के।" शोध से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 किलो कैलोरी के स्थापित मानदंड हैं। लगभग 58 मिलियन व्यक्ति गरीबी के चक्र से बच गए हैं। हालाँकि, खाद्य सुरक्षा हासिल करने के भारत के प्रयासों के बावजूद, स्थिति गंभीर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के 2014 के वैश्विक भूख सूचकांक ने भारत की खाद्य सुरक्षा स्थिति को "खतरनाक" के रूप में वर्गीकृत किया है, जो इसे दुनिया भर के 120 देशों में से 55वें स्थान पर रखता है। बढ़ती मुद्रास्फीति खाद्य पदार्थों की कीमतों को बढ़ा रही है, जिससे भारत में गरीबी से प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक वस्तुएं लगातार अप्राप्य होती जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, दालों और खाद्य तेलों की कमी ने सरकार को आयात का सहारा लेने के लिए मजबूर किया है। फसल विविधीकरण, भूमि विखंडन, जलवायु परिवर्तन और अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं जैसी चुनौतियाँ उत्पादकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को और बढ़ा देती हैं। खाद्य उपलब्धता और कृषि विकास का व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है, क्योंकि ये कारक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) खाद्य वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सरकारी सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा बनाती है। सरकार की नीतियाँ खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं, जिसमें रोज़गार सृजन पहल, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएँ और राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक शामिल हैं। गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित विभिन्न मध्यस्थों की भागीदारी ने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में योगदान दिया है।

भारत में खाद्य उपलब्धता

खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य पर्याप्त मात्रा में खाद्य भंडार की भौतिक उपस्थिति से है, जो अनिवार्य रूप से 'पर्याप्तता' को दर्शाता है। खाद्य सुरक्षा की नींव खाद्य उत्पादन में निहित है, और यह तर्क दिया जा सकता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए खाद्य उपलब्धता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इस अवधारणा में उत्पादन, वितरण, कैरीओवर स्टॉक और आयात से प्राप्त खाद्य आपूर्ति शामिल है। खाद्य उत्पादन की शुद्ध उपलब्धता की गणना निर्यात को घटाकर और आयात को जोड़कर की जाती है। भारत के स्वतंत्रता के बाद के युग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर खाद्यान्न में इसकी आत्मनिर्भरता रही है। हरित क्रांति ने घरेलू खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय और लगातार वृद्धि की शुरुआत की, जिससे अकाल, सूखा या महत्वपूर्ण फसल विफलताओं जैसे गंभीर संकटों के दुर्लभ उदाहरणों को छोड़कर, खाद्य आयात की आवश्यकता को प्रभावी रूप से कम किया गया। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, खाद्य उत्पादन में 1950-51 में 50 मिलियन टन से 2013-14 में 264 मिलियन टन तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई

है। 1950 से 2014 तक खाद्यान्न उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत रही है। खाद्य सुरक्षा सीधे तौर पर खाद्यान्न के समग्र उत्पादन, इन अनाजों की शुद्ध उपलब्धता और प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता के साथ-साथ उनके मूल्य निर्धारण से प्रभावित होती है। भारत सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। इन पहलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और तिलहन, दलहन, पाम ऑयल और मक्का (आईएसओपीओएम) की एकीकृत योजनाएँ शामिल हैं। हाल ही में एक विधायी प्रयास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का प्रवर्तन है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से दो-तिहाई गरीब आबादी के लिए खाद्य उपलब्धता और पहुँच की गारंटी देता है।

प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक, अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन इस बात पर जोर देते हैं कि “खाद्य के मामले में जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, वह कुल आपूर्ति नहीं बल्कि व्यक्तिगत पहुँच है।” खाद्य पहुँच का मतलब है खाद्य की वहनीयता, जो किसी व्यक्ति की इसे खरीदने की क्षमता को दर्शाती है, साथ ही वितरण सुरक्षा जाल के माध्यम से खाद्य की उपलब्धता भी दर्शाती है। खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि गरीब लोगों के पास पर्याप्त क्रय शक्ति हो। सबसे कमजोर आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) जैसी खाद्य-आधारित पहलों को लागू किया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में शुरू की गई, इस योजना का उद्देश्य देश की कमजोर आबादी को खाद्यान्न की न्यूनतम आपूर्ति की गारंटी देना है। इस पहल के तहत, हर महीने प्रति परिवार 10 किलोग्राम की दर से 72 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। • मध्याह्न भोजन योजना 1995 में स्कूलों में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति में सुधार करना है, साथ ही साथ छात्रों की पोषण स्थिति को बढ़ाना है।

अंत्योदय अन्न योजना यह योजना सबसे गरीब व्यक्तियों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करती है और 2 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करती है।

ये पहल गरीब परिवारों को कम कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई हैं, जिससे पहुँच सुनिश्चित हो और भेद्यता दूर हो। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम (एनएफडब्ल्यूपी), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत भोजन के अधिकार जैसे कानूनी उपायों सहित कई अन्य कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य भोजन की पहुँच को बढ़ाना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013: एक मील का पथर यह खाद्य और पोषण के सार्वभौमिक अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रूपरेखा स्थापित करता है, जिसका उद्देश्य तब तक आनंद लेना और उत्तरोत्तर विस्तार करना है जब तक कि पर्याप्त पोषण तक सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त न हो जाए। यह अधिनियम गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक पूरे मानव जीवन चक्र को शामिल करता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, लाभार्थी प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज खरीदने के हकदार हैं, विशेष रूप से चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% अधिनियमन के बाद तीन वर्षों तक उपरोक्त कीमतों पर प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार है।
- राज्यों को पात्रता मानदंड निर्धारित करने का काम सौंपा गया है।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 600 कैलोरी प्रदान करने वाले पौष्टिक "टेक-होम राशन" के साथ-साथ छह महीने की अवधि के लिए कम से कम 6000 रुपये का मातृत्व लाभ मिलेगा।

6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त गर्म भोजन प्राप्त करने का अधिकार है।

यह अधिनियम महिलाओं के सशक्तीकरण का समर्थन करता है।

खाद्यान्न की कमी की स्थिति में केंद्र सरकार राज्यों को धन आवंटित करेगी।

राज्यों को खाद्यान्न का वर्तमान आवंटन केंद्र सरकार द्वारा कम से कम छह महीने के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

जिन मामलों में खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की जाती है, राज्य सरकारें लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करेंगी। • सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लागू किए जाएंगे।

राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार की मुखिया 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला होगी। राज्य और जिला दोनों स्तरों पर एक निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा, और अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख के लिए राज्य खाद्य आयोग बनाए जाएंगे। विधेयक का मूल्यांकन: भारतीय कृषि मंत्रालय के कृषि लागत और मूल्य आयोग ने विधेयक को "अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से अत्यधिक सब्सिडी वाले भोजन उपलब्ध कराने में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा प्रयोग" बताया है। इस कानून का उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना है, जो भारत का मुख्य घरेलू खाद्य सहायता कार्यक्रम है, ताकि दो-तिहाई आबादी को कवर किया जा सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (NFSB) के तहत 1,20,000 करोड़ रुपये का अनुमानित वार्षिक व्यय समग्र लागत का केवल एक अंश दर्शाता है। मौजूदा खाद्य सुरक्षा ढांचा, जिसमें खरीद, भंडारण और वितरण शामिल हैं - वे तत्व जिन्हें NFSB जारी रखता है - संभवतः अपने पुराने बुनियादी ढांचे, अक्षमताओं और रिसाव के मुद्दों के कारण कार्यक्रम की परिचालन लागत को बढ़ाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की आलोचनाएँ: -

बिल में कहा गया है कि सरकार विभिन्न खाद्यान्नों और अनाजों की सबसे बड़ी खरीदार, वितरक और विक्रेता मात्र है, जो बाजार की गतिशीलता को बाधित कर सकता है और किसानों की व्यापार और सौदेबाजी की शक्ति को कम कर सकता है।

बिल में खाद्यान्नों के आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। - बिल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने में विफल रहा है।

इसमें विशेष रूप से मध्याह्न भोजन या स्वयं सहायता समूहों को संबोधित करने वाले प्रावधान शामिल नहीं हैं। खाद्य

भारत में उपयोग: खाद्य उपयोग इस बात से संबंधित है कि परिवार किस तरह से भोजन का प्रभावी ढंग से उपभोग करते हैं और व्यक्तियों की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता कितनी है। परिवारों की खाद्य उपयोग प्रथाएँ निम्नलिखित से प्रभावित होती हैं: (I) खाद्य भंडारण और प्रसंस्करण के लिए सुविधाओं की उपलब्धता। (II) खाद्य तैयारी से संबंधित उनका ज्ञान और कौशल। (III) जिस तरह से परिवार के सदस्यों के बीच भोजन साझा किया जाता है। (IV) खाद्य पहुँच और उपभोग को प्रभावित करने वाली समग्र स्थितियाँ।

भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ भारत को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शामिल हैं:

- जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन कृषि भूमि उपयोग और उत्पादन के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है, जिसका मुख्य कारण सिंचाई और अन्य संबंधित कारकों के लिए पानी की उपलब्धता में कमी है। भारत में बढ़ते तापमान और चरम मौसम की घटनाएँ खाद्य उत्पादन प्रणालियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जिससे कृषि विकास में बाधा आती है। कई रिपोर्ट बताती हैं कि जलवायु परिवर्तन पानी की उपलब्धता की अस्थायी और स्थानिक परिवर्तनशीलता को बढ़ाएगा, जिससे बाढ़ और सूखे की घटनाएँ बढ़ेंगी। जलवायु-प्रेरित प्राकृतिक आपदाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए संस्थागत परिवर्तनों को संबोधित करना और संसाधनों की पहुँच में सुधार करना महत्वपूर्ण है।

- फसल विविधीकरण हाल के वर्षों में, कृषि वैज्ञानिकों ने फसल विविधीकरण के महत्व पर काफी जोर दिया है। चावल और गेहूँ जैसे मुख्य खाद्यान्नों की वर्तमान कीमतें अनुकूल नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को न्यूनतम लाभ मिलता है प्रत्येक ब्लॉक या जिले में खाद्यान्न बैंक की स्थापना से ग्रामीणों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुँच प्राप्त होगी। इस पहल से खाद्यान्न वितरण में वृद्धि होने और भ्रष्टाचार कम होने की उम्मीद है।

जल मांग और उपलब्धता के बीच विसंगति भारत में वर्षा और जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण लौकिक और स्थानिक भिन्नताएं देखी जाती हैं। अधिकांश जल मानसून के मौसम में उपलब्ध होता है, मुख्य रूप से कुछ तीव्र वर्षा की घटनाओं के माध्यम से। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1170 मिमी है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण पानी की मांग बढ़ रही है। वर्तमान में, कृषि क्षेत्र लगभग 83% जल संसाधनों का उपभोग करता है; हालाँकि, अन्य क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धी माँगों के कारण यह आँकड़ा 2050 तक घटकर 68% हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जल की माँग और आपूर्ति के बीच बेमेल हो सकता है।

- भूमि का विखंडन भारत में भूमि का विखंडन प्रचलित है, और यह व्यापक रूप से माना जाता है कि यह विखंडित भूमि जोत कृषि उत्पादकता में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। बढ़ती आबादी के कारण पिछले कुछ वर्षों में भूमि की उपलब्धता में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, विकासात्मक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोगों के लिए तेजी से पुनः उपयोग किया जा रहा है, जो भूमि के विखंडन को और बढ़ाता है और उत्पादकता को कम करता है। नतीजतन, भूमि उपयोग और फसल पैटर्न पर पुनर्विचार करने की सख्त जरूरत है।
- गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री बीज क्षेत्र को

देश भर में कृषायुती कीमतों पर मजबूत आनुवंशिक क्षमता वाले उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिससे किसान अलग-अलग कृषि-जलवायु परिस्थितियों में अधिकतम उपज प्राप्त कर सकें।

- कृषि विपणन भारत में एक महत्वपूर्ण चुनौती कृषि विपणन में आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रबंधन है। अपर्याप्त सड़क अवसंरचना, अत्यधिक विनियमन और खराब बाजार सुविधाओं के कारण किसानों को अक्सर बाजार तक पहुंच में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए, भारत में कृषि उत्पादों के विपणन में सुधार के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके कृषि विपणन को बढ़ाने वाले उपायों को लागू करना आवश्यक है।

- वैश्वीकरण वैश्वीकरण ने निस्संदेह कई सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं, जिनमें प्रौद्योगिकी में उन्नति, परिवहन में सुधार, तीव्र संचार और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि शामिल है। हालाँकि, इसने कई चुनौतियाँ भी पेश की हैं। वैश्वीकरण की घटना ने वैश्विक बाजार में अर्थव्यवस्थाओं के बीच परस्पर निर्भरता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया है, जिससे घरेलू किसानों और उत्पादकों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। इस प्रभाव के कारण विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) का निर्माण हुआ है, जिसने समृद्ध और गरीब लोगों के बीच असमानता को और बढ़ा दिया है।

निष्कर्ष

यह शोधपत्र खाद्य सुरक्षा की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त परिभाषा का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है। यह अवधारणा दो प्रमुख घटकों के इर्द-गिर्द घूमती है: खाद्य उपलब्धता और खाद्य अधिकार। खाद्य उपलब्धता विभिन्न स्तरों पर खाद्य आपूर्ति से संबंधित है - स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय - जबकि खाद्य अधिकार किसी व्यक्ति या परिवार की खाद्य तक पहुँचने की क्षमता को संदर्भित करता है। परिणामस्वरूप, भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रदर्शन, चुनौतियों और नीतियों का विश्लेषण उपलब्धता, पहुँच और उपयोग के संदर्भ में किया गया है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ये तीनों पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। खाद्य की बेहतर उपलब्धता और पहुँच से घरों में पोषण स्तर में सुधार हो सकता है। उल्लेखनीय रूप से, गरीबों में भूख में उल्लेखनीय कमी आई है, साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई है। श्रम-प्रधान क्षेत्रों में वृद्धि से उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों के माध्यम से खाद्य तक पहुँच को बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, कुपोषण का मुद्दा केवल खाद्य तक पहुँच से परे है। भारत की खाद्य दुविधा का मूल न केवल खाद्य उपलब्धता बढ़ाने में है, बल्कि समान वितरण सुनिश्चित करने में भी है। भारत को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अत्यधिक वर्षा, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता, सूखा, मिट्टी का कटाव, विभिन्न स्थलाकृति और विभिन्न प्रकार की मिट्टी, जिसमें खराब भूमि शामिल है, जैसी प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं। अपर्याप्त कृषि सुविधाओं, बढ़ती आबादी और अपर्याप्त शिक्षा और नौकरी के अवसरों के साथ-साथ बंजर, अम्लीय और क्षारीय मिट्टी सहित मिट्टी की गुणवत्ता के मुद्दों ने भारत के सामने चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण बाधा मानसून की बारिश पर निर्भरता और दैनिक मजदूरी श्रम की परिवर्तनशीलता है, जो खाद्य खरीद और पहुँच को प्रभावित करती है। खाद्य सामर्थ्य निर्धारित करने में

परिवार की आय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और मुद्रास्फीति इस मुद्दे को और जटिल बनाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रभावी रूप से काम नहीं कर रही है, जिससे कम कीमतों पर भोजन का वितरण बाधित हो रहा है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और भूख को कम करने में कठिनाइयाँ अप्रभावी नीतियों से उत्पन्न होती हैं। भारत सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना और मध्याह्न भोजन और एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) जैसे पोषण कार्यक्रमों जैसी विभिन्न पहलों को लागू किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय रोजगार सृजन योजनाएँ और स्व-रोजगार कार्यक्रम भोजन और पोषण तक पहुँच में सुधार कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का उद्देश्य देश की कमज़ोर आबादी को सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराना है, जो इसे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े प्रयोगों में से एक बनाता है। कई नीतियों और कार्यक्रमों के अस्तित्व के बावजूद, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण व्याप्त है। इन पहलों के डिज़ाइन और क्रियान्वयन दोनों में चुनौतियाँ हैं। भविष्य के सुधारों को अधिक कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह स्वीकार किया गया है कि खाद्य-संबंधी कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए बेहतर शासन आवश्यक है। इस संदर्भ में, सामाजिक लामबंदी, सामुदायिक भागीदारी और विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। इन नीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रभावी संस्थान आवश्यक हैं। संक्षेप में, यद्यपि पर्याप्त खाद्य उपलब्धता है, सूक्ष्म स्तर पर खाद्य असुरक्षा का बने रहना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।

संदर्भ

[1] अनुच्छेद 21, भारत का संविधान, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण - किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, यूनिवर्सल पब्लिकेशन प्रेस। [

2] www.business-standard.com/article/economy-policy/in-2011-12-only-21-9-of-indians-were-below-povertyline-113072300629_1 24.09.2015 को एक्सेस किया गया।

[3] खाद्य और कृषि संगठन (नवंबर 1996)। खाद्य सुरक्षा पर रोम घोषणा और विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन की कार्य योजना।

[4] एफएओ 2009। खाद्य सुरक्षा पर विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन की घोषणा। (पीडीएफ)। रोम: संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन।

[5] अनिल चांडी इट्टेयरा, भारत में खाद्य सुरक्षा: प्रभावशीलता के लिए मुद्दे और सुझाव, www.iipa.org.in/upload/Food%20Security%20Theme%20Paper-2013.pdf से प्राप्त

[6] संयुक्त राष्ट्र, 1975। विश्व खाद्य सम्मेलन की रिपोर्ट, रोम 5- 16 नवंबर, 1974. न्यूयॉर्क.

[7] 1अकाल के कारण: प्रोफेसर सेन के सिद्धांत का खंडन

[8] कोट्टिन पीओ, द ग्लोबल फूड पॉलिसी (1.10.2015 को एक्सेस किया गया),
gcardblog.wordpress.com/2012/10/29/the-global-food-policy/ से प्राप्त किया गया

[9] पद्मिनी प्रसाद और अवनी प्रताप, भारत में खाद्य सुरक्षा पर लेख: प्रमुख मुद्दे और रणनीतियाँ, बिहार
आर्थिक जर्नल, खंड 3, संख्या 1, अगस्त 2014, आईएसएसएन: 22308970 [

10] स्लिवरस्टर ह्वेन्हा, शिकुलुलु सोशल इन्वेस्टमेंट्स, दक्षिण अफ्रीकी खाद्य सुरक्षा

11] पूजा मंडल, भारत में हरित क्रांति के 8 प्रमुख आर्थिक प्रभाव, www.yourarticlelibrary से प्राप्त किया
गया।